



2026:AHC:25428

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1688 / 2026

अरविंद कुमार सिंह गौतम एसआई व 52 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	जसवन्त राय
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जसवंत राय और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।

2. रिट-याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें विभिन्न वर्षों में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, तत्पश्चात उन्हें हेड कांस्टेबल और उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उन्हें द्वितीय ए.सी.पी. के रूप में 4200/- रुपये का ग्रेड पे और तृतीय ए.सी.पी. के रूप में 4600/- रुपये का ग्रेड पे प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि याचिकाकर्ताओं को द्वितीय ए.सी.पी. के रूप में 2800/- रुपये और तृतीय ए.सी.पी. के रूप में 4200/- रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा है। रिट-याचिकाकर्ताओं की मांग है कि प्रशिक्षण अवधि की गणना करते हुए और उसे सेवा में जोड़ते हुए, 26 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उन्हें द्वितीय और तृतीय ए.सी.पी. का लाभ दिया जाए, तथा प्रासंगिक शासनादेशों दिनांक 17.03.2012, 05.11.2014, 03.03.2015, 26.08.2015, 22.12.2016 और 13.04.2020 के आलोक में उन्हें वेतन वृद्धि और 7वें वेतन आयोग (सशोधित वेतनमान) का लाभ बकाया राशि सहित प्रदान किया जाए।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रतिवादियों को इस दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्रथम दृष्टया तृतीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना/कार्मिक, डीजीपी मुख्यालय, पुलिस भवन, उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

5. इस सुझाव पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ताओं को तृतीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिवेदन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, उक्त प्रतिवादी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि तृतीय प्रतिवादी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो वे संबंधित दस्तावेज उस प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

7. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

5 फरवरी, 2026

(एन.एस. राठौर)

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"